न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.
रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 057/2022 अनवान अदराराम बनाम भंवरी देवी वगैरा

02–11–2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत उपस्थित। जिन्हें प्रार्थना पत्र के एडमिशन पर सुना गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण की अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 05.03.2012 को दर्ज हुई थी, जो रेस्पो0 की तलबी में चल रही थी, जो दिनांक 19.08.2015 को अदम हाजरी व अदम तकमील (पैरवी) में खारीज कर दी गई।

प्रार्थना पत्र के साथ अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्यतः यह उल्लेखित किया गया कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील खारीज होने की सूचना अपीलांट को नही दी गई। अपीलांट अभी घरेलु कार्य से जोधपुर आने पर अपने पूर्व अधिवक्ता से प्रथम ज्ञान होने पर न्यायालय हाजा से नकल प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उसे प्रथम जानकारी से अन्दर म्याद है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी आग्रह किया कि अधिवक्ता की गलती से पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जावे। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार कर उक्त अनवान की अपील को पुनः दर्ज कर गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में आरआरटी 2017(2) 909 से 912 एवं एआईआर 1981 पेज नं. 1 व 2 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व प्रस्तुत निर्णय नजीरों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की राजस्व अपील सं. 57/2012 में निर्णय दिनांक 19.08.2015 के 07 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत

डिविजनल कमिश्नर
जो॰पुर

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कि वह अपने घरेलु कार्य से जोधपुर आने पर अपने अधिवक्ता से अपील खारीज होने की प्रथम जानकारी प्राप्त होना समुचित नही है, क्योकि वर्तमान युग में संचार साधनों की प्रर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए यह नही कहा जा सकता है कि उसके आने पर या मिलने पर, ही उसे इसकी प्रथम जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट इसी संभाग के जालोर जिले का निवासी है। प्रायः न्यायिक निर्णयों की जानकारी संबंधित पक्षकारों के माध्यम से अथवा स्थानीय किया–कलापों से हो ही जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि कालांतर में प्रस्तुत अपील के प्रति स्वयं अपीलांट रूचिप्रद नही रहा होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र विलंब के ठोस कारणों के अभाव में मियाद बाहर होने से एडमिशन स्टेज पर ही, तदनुसार खारीज किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर से कम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर की जावे।

21/11/22

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर